प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हवलदार खां पुत्र श्री रफीक खां, निवासी जनपद-बरेली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी हवलदार खां पुत्र श्री रफीक खां (दिनांक 17.06.2023 तक बन्दी की आयु लगभग 55 वर्ष) ठिरिया निजावत खां, थाना-कैण्ट, जनपद-बरेली का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 26.04.2012 को अपनी पत्नी श्रीमती रिहाना को मारकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 663/2012 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-07, बरेली के आदेश दिनांक 16.09.2017 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष 01 माह 20 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की सजा की मात्र सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं वारिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में भी अपराध कारित करने का अन्देशा होने, अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, कारित अपराध जघन्य होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने की आवश्यकता होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी की 55 वर्ष की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 17.06.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष, 01 माह, 20 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की भोगी गयी सजा, समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी हवलदार खां (बन्दी संख्या-381/2017) पुत्र श्री रफीक खां, निवासी जनपद-बरेली की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-185/2026/1924(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।